

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुझुनूं (राज0)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 23.4/2023

GCMS NO- 2023/866

किस्म मुकदमा :- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उनवान-
विनोद कुमार पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी गाडाखेडा
बनाम
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना

-:निर्णय:-

दिनांक : 19.11.2023

प्रार्थी के "नक्शा दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का गाडाखेडा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गाडाखेडा की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 208 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	आदेश
1	गाडाखेडा	खाता संख्या 208 में डिजिटल शीट दुरुस्त	नायब तहसीलदार सिंधाना के 417 दिनांक 11.10.2023 के अनुसार वाके ग्राम गाडाखेडा की जमाबंदी 2075-78 के खाता संख्या 208 के खसरा नम्बर 476 रकबा 0.01 है. एवं खसरा नम्बर 477 रकबा 2.29 है. दर्ज रिकार्ड है। रोटेशन सेग्रीगेशन में वन-टु-वन करते समय भूलवश खसरा नम्बर 476 के स्थान 477 व खसरा नम्बर 477 के स्थान पर 476 नक्शा में दर्ज अंकन हो गया। अतः मुताबिक नायब तहसीलदार सिंधाना की रिपोर्ट व नक्शा अनुसार वर्तमान प्रविष्टि नक्शा लट्ठा प्रदर्श - "अ" के स्थान पर तरमीम प्रदर्श- "ब" के अनुसार दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रदर्श "अ" व प्रदर्श- "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

सलंगन - नक्शा ट्रेस प्रदर्श- "अ" व "ब"

क्रमांक :- राजस्व/2023/635

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. श्री विनोद कुमार पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी गाडाखेडा को सूचनार्थ।



(सुनील कुमार चौहान)
(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
जिला झुझुनूं (राज0)

दिनांक :- 19.11.2023

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुझुनूं (राज0)